कार्यालय :— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉची—834002
ई—मेलः— cf-ranchi@gov.in फोन0:—(0651)—2481814 मो0:—8987790111

पत्रांकः— 1690 दिनांकः— 31/12/22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

विषयः— भारतमाला परियोजना(जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा — 4.2557हे0 के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 4978 दिनांक 06.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आपके द्वारा भारतमाला परियोजना (जैनामोड़— गोला— ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा — 4.2557हे0 का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, प्रस्ताव के अवलोकन में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गई हैः—

1. Annexures में एकरूपता नही है (क्रम सं0 2 एवं 4 की कंडिकाओं का Annexure 'B' दर्शाया गया है)।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के पार्ट —II तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन भूमि की स्थिति 0.7698 हे0(संरक्षित वन) एवं 3.4859 हे0(जंगल—झाड़) कुल 4.2557 हे0 दर्शाया गया है। परन्तु प्रस्ताव के Annexure 3 राँची जिला के Plot wise Forest land Details में 1.6810 हे0 (संरक्षित वन) एवं 2.5747 हे0(जंगल—झाड़) कुल 4.2557 हे0 दर्शाया गया है। जो एक दुसरे से भिन्न है, स्थिति स्पष्ट किया जाय।
3. Part-II के कंडिका(2) में रकबा विवरणी में आंशिक सुधार किया जाना है।
4. Part –II के कंडिका(XI) में पुनर्विचार कर endangered animal के तौर पर हाथियों के पाये जाने के बारे में स्पष्ट मंतव्य दिया जाना अपेक्षित है।
5. Part –II 10(2) में अंकित राशि का सुधार अपेक्षित है।
6. Part –I के कंडिका J, K एवं L में सुधार अपेक्षित है। तीनों बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जाना है।
7. राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारणय/हाथियों के कॉरिडोर से 10 कि0मी0 परिधि दर्शाते हुये नक्शा संलग्न नही है।

प्रस्ताव को मूलरूप में लौटाया जाता है। अतः उक्त समर्पित प्रस्ताव में पायी गई त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः समर्पित की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अनु0:— प्रस्ताव की 7 प्रतियॉ मूल रूप में।

आपका विश्वासी,

31/12/22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।